धारा 6–ए प्रकरण सं0 09/2017 कमलजीत सिंह पुत्र श्री सवेग सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जीबी पुलिस थाना विजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.02.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी कमलजीत सिंह के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र लालगढ़िया एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस दिनांक 15.01.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी कमलजीत सिंह के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र लालगढ़िया का कथन था कि प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना मुकलावा में दिनांक 16.07.2012 को एक एफआईआर संख्या 85/2012 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुई थी। दौराने अनुसंधान प्रार्थी के कब्जा से 1040 लीटर डीजल जब्त किया जाकर वाद श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण सं0 62/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह दर्ज होकर दिनांक 20.11.2012 को निर्णित किया गया और उक्त निर्णय अनुसार जब्त शुदा 1040 लीटर डीजल एवं जीप संख्या आरजे 07सी 5553 राजसात करने के आदेश दिये गये एवं राजसात किये गये वाहन की एवज में 53,498/–रूपये जुर्माना आरोपित किया गया।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज एफआईआर संख्या 85/2012 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का चालान मुख्य न्यायिक मजि0, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया जो अपराधिक प्रकरण संख्या 478/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह के रूप में दर्ज होकर दिनांक 20.09.2016 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी को धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम के अपराध से उन्मोचित किया गया है। चूंकि प्रार्थी धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के उक्त प्रकरण में दोष मुक्त हो चुका है इसलिए उससे जब्त शुदा 1040 लीटर डीजल एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि 53,498/–रूपये मय ब्याज राशि के लौटाने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 62/2012 निर्णय दिनांक 20.11.2012 के द्वारा जब्त शुदा 1040 लीटर डीजल एवं वाहन संख्या आरजे 07सी 5553 को राजसात करने का आदेश दिया गया था और राजसात किये गये वाहन की एवज में 53,498/–रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया था एवं प्रार्थी कमलजीत सिंह के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें प्रार्थी कमलजीत सिंह आदेश दिनांक 20.09.2016 के द्वारा उन्मोचित किया जा चुका है और इस आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा अपील नही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में कमलजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत जबाब के अनुसार जब्त शुदा 1040 लीटर डीजल में से 550 लीटर डीजल उसका स्वयं का है तथा शेष 330 लीटर जगजीत सिंह का व 220 लीटर प्रगट सिंह का है। इसलिए उसे वाहन की जुर्माना राशि 53,498/–रूपये और 550 लीटर डीजल वापिस लौटाने में कोई आपत्ति नही है और शेष डीजल उसे नही दिया जा सकता।

जिला कलेक्टर

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी कमलजीत सिंह पुत्र श्री सवेग सिंह ने दिनांक 23.01.17 को एक प्रा0 पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि वह मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपराधिक प्रकरण संख्या 478/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में आदेश दिनांक 20.09.2016 के द्वारा उन्मोचित हो चुका है। इसलिए धारा 6ए के प्रकरण संख्या 62/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह में उससे जब्त शुदा 1040 लीटर डीजल एवं जीप वाहन संख्या आरजे 07सी 5553 जो आदेश दिनांक 20.11.2012 के द्वारा राजसात किये गये है और वाहन की एवज में आरोपित किया गया जुर्माना राशि 53,498/–रूपये जो उसके द्वारा जमा करवाये गये है को वापिस लौटाया जावे।

उक्त प्रार्थना के संबंध में मैने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क(3)(ग) का अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रावधान हैः–

6क(3)(ग)–जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिग्रहण का आदेश किया गया है संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है।
वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएंगें।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि धारा 6ए के प्रकरण संख्या 62/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2012 के अनुसार 1040 लीटर डीजल एवं वाहन जीप संख्या आरजे 07सी 5553 राजसात करने के आदेश दिये गये थे और उक्त वाहन की एवज में 53,498/–रूपये जुर्माना आरोपित किया गया था। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन संख्या 9034 दिनांक 06.11.17 के अनुसार जुर्माना राशि 53498/–रूपये वाहन स्वामी से दिनांक 04.12.12 को जमा करवाई जा चुकी है और जब्त शुदा 1040 लीटर डीजल में कमलजीत सिंह स्वयं का 550 लीटर डीजल तथा 330 लीटर जगजीत सिंह का और 220 लीटर डीजल प्रगट सिंह का है। इसलिए उसे केवल उसका 550 लीटर डीजल वापिस लौटाने में कोई आपत्ति नही है शेष डीजल उसे नही दिया जा सकता। धारा 6ए के प्रकरण में कमलजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 30.10.2012 के साथ प्रस्तुत बिल संख्या 83189, 83190, 83191 दिनांक 11.07.12 के अनुसार कमलजीत सिंह का बिल संख्या 83189 जो कि 550 लीटर डीजल का है और बिल सं0 83190 जगजीत सिंह का 330 लीटर का है व बिल संख्या 83191 प्रगट सिंह का 220 लीटर डीजल का है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क(3)(ग) में निम्न प्रावधान हैः–

6क(3)(ग)–जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिग्रहण का आदेश किया गया है संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है।
वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएंगें।

जिला कलैक्टर

उक्त कानूनी प्रावधानो के तहत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक प्रकरण में दोष मुक्ति पर धारा 6ए के प्रकरण में राजसात किये गये वाहन व वस्तु को उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे जब्त किया गया है को वापिस लौटाया जा सकता है।

चूंकि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक प्रकरण संख्या 478/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह में आदेश दिनांक 20.09.2016 के द्वारा कमलजीत सिंह दोष मुक्त हो चुका है और धारा 6ए के प्रकरण में राजसात किये गये 1040 लीटर डीजल में कमलजीत सिंह का 550 लीटर डीजल उसके जबाब एवं बिल संख्या 83189 के अनुसार उसके स्वामित्व का है और राजसात किये गये वाहन जीप संख्या आरजे 07सी 5553 का स्वामी है और वाहन राजसात की एवज में उसके द्वारा 53498/–रूपये जुर्माना राशि दिनांक 04.12.2012 को जमा करवाई गई है। धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा अपील नही करने का निर्णय लिया जा चुका है। **इसलिए कमलजीत सिंह धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में दोष मुक्ति के परिणाम स्वरूप अपने स्वामित्व का 550 लीटर डीजल एवं वाहन जीप संख्या आरजे 07सी 5553 की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि 53498/–रूपये वापिस प्राप्त करने का हकदार है** और शेष डीजल उक्त बिलो के अनुसार बिल संख्या 83190 **जगजीत सिंह** का **330 लीटर** का व बिल संख्या 83191 **प्रगट सिंह का 220 लीटर डीजल** का है **और इनके स्वामीयों द्वारा अभी डीजल वापिस प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है इसलिए शेष रहे उक्त डीजल के स्वामियों द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर ही उन पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।**

अतः प्रार्थी कमलजीत सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2017 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 478/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह में पारित आदेश दिनांक 20.09.2016 से दोष मुक्ति के परिणाम स्वरूप धारा 6ए के प्रकरण संख्या 62/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2012 द्वारा राजसात किये गये 1040 लीटर डीजल में से कमलजीत सिंह के **स्वामित्व का 550 लीटर डीजल या उसके विक्रय की दशा में उसकी राशि व राजसात किये गये वाहन जीप संख्या आरजे 07सी 5553 की एवज में आरोपित जुर्माना राशि 53498/–रूपये जो कमलजीत सिंह के द्वारा जमा करवाई गई है को उसे नियमानुसार देय ब्याज सहित वापिस लौटाने के आदेश दिये जाते है।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अभिलेखागार में जमा शुदा धारा 6ए की पत्रावली संख्या 62/2012 आदेश की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर